राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बालोतरा

–: कार्यालय आदेश :–

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102(206)/सी.भ./प्रयोगशाला सहायक/2021–22 दिनांक 13–09–2023 के अनुसरण में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक संयुक्त (विज्ञान) भर्ती परीक्षा–2022 में चयनित अभ्यर्थियों को श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(15) शिक्षा–2/2014 जयपुर दिनांक 27–08–2021 एंव निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रंमाक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102(206)/सी.भ./प्रयोगशाला सहायक/2021–22 दिनांक 17.05.2023 की पालना में इस कार्यालय स्तर पर प्रयोगशाला सहायक की दिनांक 19.09.2023 को काउसलिंग आयोजित कर परामर्श शिविर में उपस्थित/अनुपस्थित के विकल्प/सहमति पत्र के अनुसार सलंग्न सूची में इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–08 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रुप में दो वर्श के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियम मानदेय 18500/– रु. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं।

सबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रुप से सपांदित करेगें।

1– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबधित अभ्यार्थी का सबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रदत चरित्र सम्बन्धी सदाचरण एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतू यह आवश्यक नही होगा।

2– जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरुद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

3– किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता हैं तो सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरुद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

4– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी/ए.II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरुप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने सबंधित आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50 रुपयें के नोन ज्यूडिशयल स्टाम्प पर आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावें।

5– राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष हैं अतः जिन अभ्यर्थियो द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई हैं उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैघ एंव मान्य पाये जाने के अध्यधीन नियुक्ति दी जा रही हैं। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थियों से 50/– रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र सलंग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगें। कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैघ व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एंव उनके विरुद्व कार्यवाही करने सबंधि अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

6– कार्यग्रहण कराने से पूर्व संस्था प्रधान आवेदन पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजो का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। यदि मिलान में कोई विसंगति हो तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें। तथा अभ्यर्थियों से सलंग्न प्रारुप में यह शपथ पत्र लिया जावे की उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एंव दस्तावेज सही हैं। उनके त्रुटीपूर्ण, कूटरचित एंव जाली पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एंव उनके विरुद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।

7– अन्य पिछडा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता हैं, अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं हैं तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता हैं तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

(i) अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही हैं परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावें तथा उसके सबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें उपरोक्तानुसार पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावें। यदि कोई अभ्यर्थी कीमिलेयर की श्रेणी में आता हैं तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

8– कार्यग्रहण कराने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी ही कार्यग्रहण करें जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishan Singh Mahecha
Designation : District Education Officer
Date: 2023.09.19 17:25:44 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 4753995

77/ 2023

9– चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयू एंव आरक्षण सबंधी समस्त दस्तावेजो की जांच आवश्यक रुप से कर लेवें।

10– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुमपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने सबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

11– विवाहित अभ्यर्थियों के मामलें में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ हैं, तो तत्संबधी आशय का 50/– रु. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त कर लिया जावें।

12– आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व. घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।

13– आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व संस्था प्रधान अपने स्तर पर करेगें, मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके सबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण पुनः इस कार्यालय को भिजायेगें।

14– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता एंव खेल प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एंव उनके विरुद्व कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावें।

15– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमूनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महगांई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ती, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

16– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेंगी।

17– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा।

18– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12 (9) एफडी (रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

19– अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह सम्बन्धी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.2015 की अनुपालना में पूर्ती करावें। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यता अनुसार अनुसरण किया जावें।

20– अन्य विभाग से आने वाले कार्मिकों से सबंधित विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावें।

21– कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13) कार्मिक/क–2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एंव राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एंव निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारुप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 10.10.2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवानें की व्यवस्था की जावें एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

सलंग्न :– कस 01 से 02 तक पदस्थापन आदेश सूची

(कृष्णसिंह महेचा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा बालोतरा

क्रमांक :– जिशिअ/मु0/माध्य/बालोतरा/संस्था–3/प्रशास/23/ 77 दिनांक :– 19.09.2023

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1– श्रीमान् विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
2– श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव स्कुल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3– श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4– श्रीमान् सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
5– श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6– श्रीमान् संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग जोधपुर।
7– श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर।
8– सबंधित सीबीईओ .... ।
9– सबंधित संस्था प्रधान .... ।
10– सबंधित श्री/श्रीमति ....
11– रक्षक पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishan Singh Mahecha
Designation : District Education Officer
Date: 2023.09.19 17:35:44 IST
Reason: Approved

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा बालोतरा

RajKaj Ref No. : 4753995

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बालोतरा

क्रमांक :– जिशिअ/मु./मा/बाड/संस्था–3/प्र.शा.स./23/77 दिनांक :– 19.09.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक संयुक्त (विज्ञान) भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यर्थियों की काउसलिंग के पश्चात नियुक्ति आदेश

Sn.	ROLLNO	MERIT NO.	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT	विद्यालय का नाम	ब्लॉक	PHOTO
1	276815	190	MEENA KUMARI	KESHA RAM	02-Dec-03	Female	OBC	–	SEC_GEN	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BAITU (213582) (08170200110)	BAITU	
2	493972	1489	YOGESH KUMAR JOYA	VIRENDRA KUMAR JOYA	13-Oct-93	Male	SC	–	SEC_SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHOKHSAR (220609) (08171108201)	GIDA	

(कृष्णसिंह महेचा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या0)
माध्यमिक शिक्षा बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishan Singh Mahecha
Designation : District Education Officer
Date: 2023.09.19 17:25:44 IST
Reason: Approved